न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2015 पुनरीक्षण निग/3386/II/15

1. राजमणि तनय लखपति यादव
2. नारायण पुत्र लखपति यादव
3. राजरूप पुत्र नरेश यादव
4. शंकर पिता नरेश यादव
5. फददू तनय नरेश यादव
6. श्रीमती सुमित्रा पत्नी स्व0 गणेश प्रसाद
7. रामकली पुत्री गणेश प्रसाद
8. अरविन्द तनय गणेशप्रसाद
9. छोटेलाल पुत्र गणेश प्रसाद
10. टाले पुत्री गणेश प्रसाद
11. कमलेश पुत्र गणेशप्रसाद
12. बेलाकली पुत्री गणेशप्रसाद

निवासी ग्राम भितरी,तहसील– सिहावल थाना बहरी,जिला– सीधी —आवेदकगण

विरूद्व

1. लालमणि तनय छोटू यादव
2. बालगोविन्द तनय छोटू यादव
3. मुसo सुगिया बेवा पत्नी लोरिक यादव
4. कदाली पिता लोरिक यादव

निवासीगण ग्राम– भितरी तहसील–सिहावल

जिला– सीधी —— अनावेदकगण

अपर कलेक्टर जिला–सीधी द्वारा प्रकरण क्रमांक–66/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 6–10–2015 के विरूद्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते है–

1. यह कि, अपर कलेक्टर महोदय का विवादित आदेश अवैध, अभिलेख के विपरीत तथा मनमाना होने से निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, तहसील न्यायालय के समक्ष अनावेदकगण ने भूमि सर्वे क्रमांक 249 आदि के प्लॉट संशोधन हेतु आवेदन दिया था अनावेदकगण का आवेदन संहिता की धारा–89 के अंतर्गत प्रचलन योग्य ही नहीं था.

3. यह कि, तहसील न्यायालय में शासन के अतिरिक्त मात्र आवेदक क्रमांक–1 को पक्षकार बनाया गया जबकि समस्त आवेदकगण की भूमि को प्रभावित करने वाली राहत अनावेदकों को दी गयी इस कारण तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं था अनुविभागीय अधिकारी ने तहसील आदेश को निरस्त कर आवश्यक पक्षकारों को संयोजित करने एवं सुनवाई का अवसर देकर विवाद का निराकरण करने के निर्देश देने में कोई त्रुटि नहीं की थी.

(41)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3386-दो/2015 जिला सीधी

राजमणि विरूद्ध लालमणि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-04-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर उपस्थित । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 66/निगरानी/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 06-10-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. यह प्रकरण दिनांक 20-06-2019 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे । (बी.एम.शर्मा) सदस्य	